न्यायालय सहायक कलेक्टर, आबूपर्वत

पीठासीन अधिकारी– डॉ गौरव सैनी, आई.ए.एस

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1. श्री भीखाराम पुत्र श्री मोती, जाति मेघवाल, निवासी मोरथला, तहसील आबूरोड मृतक के कायम मुकाम वारीसान 1/1 श्रीमती रम्भा देवी पत्नी स्व.श्री भीखाराम जाति मेघवाल,पेशा कृषि कार्य निवासी मोरथला तहसील आबूरोड 1/2 श्री मगाराम पुत्र स्व. श्री भीखाराम जाति मेघवाल, निवासी मोरथला तहसील आबूरोड 1/3 श्री प्रकाश कुमार पुत्र स्व.श्री भीखाराम जाति मेघवाल निवासी मोरथला तहसील आबूरोड 1/4 श्री अशोक कुमार पुत्र स्व.श्री भीखाराम जाति मेघवाल निवासी मोरथला तहसील आबूरोड 1/5 श्रीमती गमी देवी पत्नी स्व. नवाराम पुत्री स्व. श्री भीखाराम जाति मेघवाल पेशा कृषि कार्य निवासी ओर तहसील आबूरोड 1/6 श्रीमती शारदा देवी पत्नी श्री वजाराम पुत्री स्व. श्री भीखाराम जाति मेघवाल पेशा कृषि कार्य निवासी मोरथला तहसील आबूरोड 1/7 श्रीमती हंजा देवी पत्नी श्री देवाराम पुत्री स्व. श्री भीखाराम जाति मेघवाल पेशा कृषि कार्य निवासी ओर तहसील आबूरोड		1. श्रीमती लेहरी बाई पत्नी श्री दिलीप कुमार पुत्र नैनाराम जाति मेघवाल निवासी मेघवालो का वास खारदा तहसील देसुरी जिला पाली 2. श्री लसीया पुत्र श्री केना जाति मेघवाल निवासी मोरथला तहसील आबूरोड 3. श्री खेतीया पुत्र श्री केना जाति मेघवाल निवासी मोरथला तहसील आबूरोड 4. श्री शंकर पुत्र श्री केना जाति मेघवाल निवासी मोरथला तहसील आबूरोड 5. श्रीमती अमृती पुत्री श्री केना पत्नी शंकरलाल जाति मेघवाल निवासी खाखरवाडा तहसील पिण्डवाडा 6. श्रीमती बेबी पुत्री श्री केना पत्नी किशोर कुमार जाति मेघवाल निवासी भारजा तहसील पिण्डवाडा 7. श्रीमती कैसी पत्नी स्व. श्री केना जाति मेघवाल निवासी मोरथला तहसील आबूरोड 8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आबूरोड

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सीपीसी

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 14/2016

दिनांक| 0–02–2021

निर्णय

यह कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सीपीसी के तहत पेश कर कथन किया कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 01 से 07 के संयुक्त हिस्से खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम मोरथला पटवार क्षेत्र मोरथला भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आबूपर्वत तहसील आबूरोड में निम्न खाता व खसरा नम्बरान की आई हुई है।

A

खसरा नम्बर	रकबा (बीघा–बिस्वा)	किस्म
122	00–19	बारानी–2
131	00–06	बारानी–2
169	00–08	बारानी–2
कुल किता–03 रकबा 01–13 बीघा		

B

खसरा नम्बर	रकबा (बीघा–बि	किस्म
85	00–14	जाव–2 चाही–2
86	00–14	जाव–2 चाही–2
102	01–12	जाव–2 चाही–2

सहायक कलेक्टर
आबू-पर्वत

Signature Not Verified
Digitally Signed by Gaurav Saini
Date: 2021.02.24 09:30:34 IST
Reason: SelfAttested

103	02–01	जाव–2 चाही–2
104	02–02	जाव–2 चाही–2
105	02–09	जाव–2 चाही–2
108	02–01	जाव–2 चाही–2
109	04–13	
कुल किता–08 रकबा 16–06 बीघा		

यहकि पद संख्या ए वर्णित कृषि भूमि में प्रार्थी संख्या 01 के पूर्व पति स्व. चेनाराम (प्रार्थी का भाई) का 2/3 हिस्सा है एवं पद संख्या बी वर्णित कृषि भूमि में प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 01 के पूर्व पति स्व. चेनाराम (प्रार्थी का भाई) एवं अप्रार्थी संख्या 02 से 07 का 2/3 हिस्सा है। यहकि अप्रार्थी संख्या 01 के पति चेनाराम पुत्र श्री मोती का नाऔलाद देहान्त दिनांक 23.08.2005 को हो चुका है एवं अप्रार्थी संख्या 01 ने अपने पति चेनाराम की मृत्यु के पश्चात दिलीप कुमार पुत्र श्री नैनाराम मेघवाल निवासी मेघवालो का वास खारदा तहसील देसुरी जिला पाली के साथ दूसरा विवाह कर लिया है एवं विवाह के पश्चात अप्रार्थी संख्या 01 अपने दूसरे पति दिलीप कुमार के साथ गांव खारदा तहसील देसुरी में निवास कर रही है। जिस कारण उक्त कृषि भूमि में अप्रार्थी संख्या 01 के समस्त हक अधिकार समाप्त हो चुके है। अप्रार्थी संख्या 01 ने पद संख्या ए व बी वर्णित कृषि भूमि पर कभी भी कृषि कार्य नहीं किया न ही किसी भी रूप में उसका कब्जा रहा न ही वर्तमान में है। यहकि पद संख्या ए व बी में वर्णित कृषि भूमि में अपने हिस्से व अपने भाई मृतक स्व. चेनाराम के हिस्से पर प्रार्थी कदीम से कृषि कर अपना व अपने परिवार का पालन पोषण करता है एवं भूमि लगान आदि राजस्व करो का भी नियमित भुगतान अपने हिस्से व अपने भाई मृतक स्व. चेनाराम के हिस्से तक प्रार्थी ही करता आ रहा है। प्रार्थी व उसके परिवार का कदीम से बिना किसी बाधा एवं रोकटोक के उक्त कृषि भूमि पर कब्जा है। प्रार्थी द्वारा अपने भाई स्व. चेनाराम का पालन पोषण एवं विवाह आदि किया गया था तथा उसकी मृत्यु के पश्चात समस्त सामाजिक रीति रिवाज एवं अंन्तिम संस्कार आदि भी प्रार्थी ने ही सम्पन्न किये थे, प्रार्थी को अपने भाई चेनाराम से बाल्यकाल से ही प्राकृतिक स्नेह था एवं वह बतौर पुत्र के रूप में साथ रहा एवं प्रार्थी व उसके परिवार के सदस्यों ने ही उक्त कृषि भूमि को अपने खून पसीने एवं कडी मेहनत कर एवं अत्यधिक रूपये लगाकर पेड लगाये है तथा मेड बन्दी करवाई है तथा कृषि योग्य ऊपजाउ बनाया है व उस पर वह कृषि कर अपना तथा अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे है। यहकि अप्रार्थी संख्या 1 आज दो–तीन दिन पूर्व विवादित भूमि पर आयी और प्रार्थी को यह धमकी दी कि उक्त विवादित भूमि के राजस्व रेकर्ड में मेरा नाम अंकित है और तुम्हें इस भूमि से बेदखल कर बलपूर्वक कब्जा ले लूंगी और मेरा नाम होने के कारण किसी अन्य को बेचना कर दूंगी। यहकि अप्रार्थी संख्या एक उक्त प्रार्थना पत्र मे वर्णित पदों मे वर्णित अपने कृत्य द्वारा स्पष्टतया प्रार्थी के वैद्य कब्जे एवं खातेदारी अधिकारो में बाधा कारित कर उसके विधिक अधिकारो में हस्तक्षेप करने एवं अधिकारो से वंचित करने पर आमादा है। जिससे प्रार्थी जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से रूकवाने का विधिक अधिकारी है। अप्रार्थी संख्या 2 से 07 उक्त कृषि भूमि में सह खातेदार होने से उन्हें इस वाद मे पक्षकार बनाया गया है।

हमने प्रकरण को दर्ज कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये। अप्रार्थीगण को जारी नोटिस तामिल शुदा प्राप्त होने से शामिल मिसल किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 2 से 7 द्वारा जवाब प्रस्तुत नही करने के कारण इनका जवाब बंद किया गया। अप्रार्थी संख्या एक ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि अप्रार्थी संख्या एक अपने पति के जीवनकाल से ही उक्त विवादित कृषि भूमि पर अपने हिस्से अनुसार काबिज काश्त रही है। अप्रार्थी संख्या एक के पति चेनाराम की मृत्यु हो चुकी है एवं चेनाराम की मृत्यु के पश्चात् विधिक वारीसान बतौर पत्नि की हैसियत से से अप्रार्थी संख्या एक का नाम पद संख्या ए व बी मे वर्णित कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में 2/3–2/3 हिस्सा बतौर खातेदार विधिवत दर्ज हुआ है एवं राजस्व रेकर्ड में दर्ज अपने हिस्से अनुसार ही अप्रार्थी संख्या एक उक्त वर्णित कृषि भूमि एवं उसके हिस्से में आये कुएं पर काबिज होकर [illegible] चली आ रही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Saini
Date: 2021.02.24 09:50:34 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आबू-पर्वत

हमने उभय पक्षीय बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। बहस पर मनन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों अनुसार प्रश्नगत आराजी ग्राम मोरथला पटवार क्षेत्र मोरथला तहसील आबूरोड के वाद के पद संख्या ए के खसरा नंबर 122, 131, 169 कुल किता 3 कुल रकबा 01 बीघा 13 विस्वा एवं वाद के पद संख्या बी के खसरा नंबर 85, 86, 102, 103, 104, 105, 108, 109 कुल किता 08 कुल रकबा 16 बीघा 06 विस्वा मे अप्रार्थी संख्या एक अपने हक हिस्से अनुसार रेकर्डेड खातेदार है। एवं प्रार्थीगण अप्रार्थी संख्या एक का दूसरा विवाह साबित नही कर पाये है। ऐसी स्थिति मे प्रकरण मे सुविधा का संतुलन एवं अपूर्तनीय क्षति प्रथम दृष्ट्या प्रकरण मे प्रार्थी अपने पक्ष मे साबित नही कर पाया है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सीपीसी परिपोषणीय नही होने से खारिज योग्य है।

आदेश

यह कि ग्राम मोरथला पटवार क्षेत्र मोरथला तहसील आबूरोड के वाद के पद संख्या ए के खसरा नंबर 122, 131, 169 कुल किता 3 कुल रकबा 01 बीघा 13 विस्वा एवं वाद के पद संख्या बी के खसरा नंबर 85, 86, 102, 103, 104, 105, 108, 109 कुल किता 08 कुल रकबा 16 बीघा 06 विस्वा मे अप्रार्थी संख्या एक अपने हक हिस्से अनुसार रेकर्डेड खातेदार है। एवं प्रार्थीगण अप्रार्थी संख्या एक का दूसरा विवाह साबित नही कर पाये है। ऐसी स्थिति मे प्रकरण मे सुविधा का संतुलन एवं अपूर्तनीय क्षति, प्रथम दृष्ट्या प्रकरण मे प्रार्थीगण अपने पक्ष मे साबित नही कर पाया है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सीपीसी परिपोषणीय नही होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 10.2.21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. गौरव सैनी) I.A.S.
सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर,आबूपर्वत
आबू-पर्वत

Signature Not Verified

Digitally signed by Gaurav Saini
Date: 2021.02.24 09:30:34 IST
Reason: SelfAttested